न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2017-00089RAAJu2017RAAJu225RTA115 kojaram Vs kevalram ors

1. कोजाराम पुत्र जयराम थोरी
2. डूँगरराम पुत्र जयराम थोरी
3. मेहनराम पुत्र जयराम थोरी के कायम मुकाम जरिये
   3/1 मुनकी पत्नी स्व0 मोहनलाल
   3/2 सकताराम पुत्र स्व0 मोहनलाल
   3/3 रमेश पुत्र स्व0 मोहनलाल
   3/4 मुकेश पुत्र स्व0 मोहनलाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती मुनकी
   3/5 सुखदरिया पुत्री स्व0 मोहनलाल
   3/6 शारदा पुत्री स्व0 मोहनलाल
   3/7 पूजा पुत्री स्व0 मोहनलाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मुनकी
4. दुदाराम पुत्र चुनाराम थोरी
5. पेमाराम पुत्र चुनाराम थोरी
6. रामाराम पुत्र चुनाराम थोरी
7. घेवरराम पुत्र पुखाराम थोरी
8. गोबरराम पुत्र पुखाराम जयराम थोरी
9. बाबुडी पत्नी सुजाराम
10. चेतनराम पुत्र सुजाराम
11. मोहनराम पुत्र सुजाराम थोरी नाबालिक जरिये कुदरती वलियामाता बाबुडी पत्नी सुजाराम
12. मुन्नी देवी पत्नी बाबुलाल
13. महेन्द्र पुत्र बाबुलाल
14. निरमा
15. रिंकू पुत्रियां बाबुलाल नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता मुन्नी देवी पत्नी बाबुलाल

सभी जातियान थोरी निवासीगण जाटाबास भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1. केवलराम पुत्र पुनाराम जाति थोरी
2. केली पुत्री पुनाराम
3. पप्पूराम पुत्र घबराराम
4. रूपाराम पुत्र घबरारा
5. विघा देवी पत्नी घबराराम
6. मीरा पुत्री श्री घबराराम
   सभी जातियान थोरी निवासीगण जाटाबास भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।
7. उप पंजियक उप पंजियन कार्यालय बिलाडा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर।

----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा प्रार्थना पत्र सं. 8/2017 बअनवान केवलराम बनाम कोजाराम वगैरा में निर्णय दिनांक 07 जुलाई 2017 को पारित किया गया।

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सुनिल पटेल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता रेस्पो. सं. 01 से 06
श्री दूदाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो.07 व 08

नि र्ण य

दिनांक : 27 फर., 2020

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 8/2017 केवलराम व अन्य बनाम कोजाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 जुलाई 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 20 सितम्बर 2017 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से छः ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर ग्राम भावी जाटावास स्थित आराजी **खसरा संख्या** 112 रकबा 09 बीघा, खसरा संख्या **113** रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या **114** रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या **119** रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या **2001** रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या **2002** रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या **2003** रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या **2062** रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या **2063** रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या **2064** रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा और खसरा संख्या **2065** रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा कुल किता ग्यारह रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा बाबत एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत प्रस्तुत किया जाना जाहिर किया और उक्त आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमि होना बताते हुए मूल खातेदार नैना पुत्र रावत के पांच जायन्दा पुत्र मल्लाराम, जयराम, चूनाराम, पुनाराम व पुखाराम होना, नैना के देहान्त के बाद फौतेदगी म्युटेशन मात्र चार पुत्रों मल्लाराम, जयराम, चुनाराम व पुखाराम के नाम ही भरा गया और पांचवे पुत्र पूनाराम के नाम म्युटेशन नहीं भरा गया, जिसके संबंध में पूनाराम को कोई जानकारी नहीं हो पायी,क्योकि पूनाराम अनपढ था, पक्षकारान पारिवारिक समझौते अनुसार काबिज है, अपने जीवनकाल में पूनाराम अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजियात पर काबिज रहा तथा उसके देहान्त के बाद उसके हिस्से अनुसार प्रार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौके पर काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 15 के पूर्वज मल्लाराम, जयराम, चूनाराम व पुखाराम के देहान्त के बाद फौतेदगी म्युटेशन में उनका नाम आया है, मगर अब उनकी नीयत में खोट आ जाने के कारण वादग्रस्त आराजियात से वे प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं वादग्रस्त आराजियात अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमदा है। अभी दिनांक 24 अप्रेल 2017 को सभी अप्रार्थीगण संख्या 01 से 15 ने एकराय होकर खसरा संख्या 2062, 2063, 2064 व 2065 की भूमि का प्रार्थीगण को बेदखल करने की नीयत से बेचान कर दिया है और बकाया आराजियात का भी बेचान करने के लिए कटिबद्ध है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जाने बाबत अस्थायी आदेशात्मक व्यादेश जारी किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 26 अप्रेल 2017 को संस्थित किया जाकर अंतरिम स्थगन आदेश जारी करते हुए अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर आगामी पेशी 24 मई 2017 मुकर्रर की गयी। 24 मई 2017 को अप्रार्थीगण संख्या एक से पन्द्रह की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया, अंतरिम स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तक बढायी जाकर मिसल बमुकाम भावी अटल सेवा केन्द्र राजस्व लोक अदालत में पेश किये जाने के आदेश सहित पेशी 19 जून 2017 निर्धारित की गयी। राजस्व लोक अदालत भावी अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 19 जून 2017 को मूल वाद में पक्षकारान के मध्य समझाईश का प्रयास किया गया, मगर सफल नहीं होने पर मिसल पुनः बमुकाम बिलाडा पेश होने के आदेश सहित पेशी दिनांक 12 जुलाई 2017 मुकर्रर की गयी। इसके बाद बिना किसी आदेश अथवा आधार के आदेशिका 29 जून 2017 मिसल राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र में 07 जुलाई 2017 को पेश होने बाबत रबरस्टाम्प से मुद्रित की हुई है। 07 जुलाई 2017 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेशिका अनुसार राजस्व लोक अदालत कैम्प भावी पर पक्षकारान की बहस सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थीगण-रेस्पो. का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलाण्ट्स के पूवर्ज नैनाजी का कब्जा काश्त एवं खातेदारी रहते हुए ही पूनाराम ला-औलाद एवं निर्वसीयती फौत हो गया था, प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से छः का वादग्रस्त आराजियात पर न तो कभी कब्जा काश्त रहा है और न ही कभी ये उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार रहे है। प्रकरण दुबारा राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र में रखे जाने का कोई आधार नहीं था। इतना ही नहीं, राजस्व लोक अदालत में किसी प्रकरण का निस्तारण उभय पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा के आधार पर ही किया जा सकता है। आलौच्य प्रकरण में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा हुए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है।

मियाद प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलाण्ट्स को अपने अधिवक्ता से मिलने पर हुई, 04 अगस्त 2017 को अपील पेश करने के कम में अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया, मगर कर्मचारियों की हडताल हो जाने से वांछित नकल दिनांक 06 सितम्बर 2017 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, जिसकी दूरभाष पर अधिवक्ता ने सूचना दी, मगर अपीलाण्ट्स निजी कार्य में अत्याधिक व्यस्त होने के कारण दिनांक 11 सितम्बर 2017 को अपने अधिवक्ता से मिला और तब उसे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश बाबत विधिवत जानकारी हुई। तत्पश्चात जानकारी की दिनांक से उसने विधिवत आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत हाजा के समक्ष पेश कर दी है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और बताया कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी भूमि है जिसके मूल खातेदार नैनाजी के देहान्त के बाद फौतेदगी म्युटेशन में उनके 5 पुत्रों की बजाय मात्र 4 पुत्रों, मल्लाराम, जयराम, चूनाराम व पुखाराम के नाम ही भरे गये तथा पॉचवें पुत्र पूनाराम का नाम नहीं भरा गया जिसका कालान्तर में ज्ञान होने पर पूनाराम के वारिसान वादीगण-रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा हेतु दावा पेश किया गया है और मूल दावे के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया, जो जरिये अपीलाधीन आदेश स्वीकार किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी। अपील मियाद-बाधित है और विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट को कब और किस प्रकार हुई। इन परिस्थितियों में उक्त प्रार्थनापत्र अस्पष्ट और अपूर्ण होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम एवं तदनुसार अपील मियाद-बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया, साथ ही प्रस्तुत नजीरों का भी अध्ययन किया गया। जिससे पाया जाता है कि वादीगण-प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 01 से 06 वादग्रस्त आराजियात में इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आधार पर अपने हक-हकूक जाहिर करते है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी भूमि है जिसके मूल खातेदार नैनाजी के देहान्त के बाद फौतेदगी म्युटेशन में उनके 5 पुत्रों की बजाय मात्र 4 पुत्रों, मल्लाराम, जयराम, चूनाराम व पुखाराम के नाम ही भरे गये तथा पॉचवें पुत्र पूनाराम का नाम नहीं भरा गया। प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से छः स्वयं को उक्त पूनाराम के वारिसान होना जाहिर करते है। इसके विपरीत अपीलाण्ट्स के अनुसार पूनाराम लाऔलाद फौत हुआ था। अदालत हाजा के समक्ष पत्रावली पर फिलहाल ऐसा कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे इस संबंध में किसी तथ्य की पुष्टि की जा सके। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि आदेशिका दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार राजस्व लोक अदालत भावी अटल सेवा केन्द्र पर को मूल वाद में पक्षकारान के मध्य समझाईश का प्रयास किया गया, मगर सफल नहीं होने पर मिसल पुनः बमुकाम बिलाडा पेश होने के आदेश सहित पेशी दिनांक 12 जुलाई 2017 मुकर्रर की गयी। इसके बाद **बिना किसी आदेश अथवा आधार के आदेशिका 29 जून 2017** मिसल राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र में 07 जुलाई 2017 को पेश होने बाबत रबरस्टाम्प से मुद्रित की हुई है। 07 जुलाई 2017 की आदेशिका अनुसार राजस्व लोक अदालत कैम्प भावी पर पक्षकारान की बहस सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थीगण-रेस्पो. का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया। जाहिर है कि अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप पारित नहीं किया गया है।

अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गुणावगुण पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 जुलाई 2017 अपास्त किया जाता है और प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि वह अभिलेखीय पुख्ता साक्ष्य सबूत लेकर बाद परीक्षण यह अवधारित करे कि स्व. नैना का पांचवा पुत्र पूनाराम ला-औलाद निर्वसीयती फौत हुआ अथवा प्रार्थीगण-वादीगण उक्त पूनाराम के विधिक वारिसान होकर वादग्रस्त भूमि पर दावाकृत हक-हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है? इस संबंध में पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई कर प्रथम दृष्टया वस्तुस्थिति सुनिश्चित करने के उपरान्त ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का निस्तारण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 27/2/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर